इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021—चैत्र 13, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5136 -177-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२१

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०२१

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ३ का संशोधन.

४. धारा ९ का संशोधन.

५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२१

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २६ मार्च, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, १९९५ (क्रमांक २६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सम्मिलित होंगे.''.

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) आयोग का गठन निम्नानुसार होगा,—

(क) पांच अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों तथा उनके कार्य के लिए जाने जाते हों;

(ख) इनमें से एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में तथा एक अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

(ग) अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे और कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से भी नियुक्त किया जाएगा.''.

धारा ९ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ९ में,—

''(एक) उपधारा (१) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(क) पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना और पिछड़े वर्गों के अधिकारों एवं रक्षोपायों से वंचित किये जाने से संबंधित शिकायतों की जांच करना:'';

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) राज्य सरकार पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति. ५. (१) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १० सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5136-177-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2021

THE MADHYA PRADESH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Amendment of Section 9.
5. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2021

THE MADHYA PRADESH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 2nd April, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 3rd April, 2021.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Pichhade Varg Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021.

Amendment of Section 2.

2. For clause (d) of Section 2 of the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) "Member" means a Member of the Commission and shall include the Chairperson and Vice-Chairperson.".

Amendment of Section 3.

3. For sub-section (2) of section 3 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(2) The commission shall consist of the following,—

(a) five non-official members appointed amongst the persons who have knowledge of the matters relating to backward classes and are known to have worked for their cause;

(b) one of the members shall be appointed as the Chair-person and another member shall be appointed as the Vice-chairperson of the Commission;

(c) the Chair-person and at least two other member shall be persons belonging to the backward classes and also at least one of the member shall be appointed amongst women;".

Amendment of Section 9.

4. In Section 9 of the principal Act,—

(i) for clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) to act as watch-dog commission for the protection afforded to the members of the backward classes under the Constitution and under any law for the time being in force and to inquire into complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the backward classes;";

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting the backward classes.".

Repeal and saving.

5. (1) The Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (No. 10 of 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.